संख्या– /XXXVI(2)/24/22(बजट)/2023

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक अनुदान में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत 'मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल' हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नवत् तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार **कुल रू0 1,45,00,000/– (रू0 एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 में)

अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय	
मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
02– मजदूरी	1,00,00,000
11– अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	45,00,000
कुल योग	**1,45,00,000**

(रू0 एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

1. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय। तथा व्यय करते समय मितव्ययता का ध्यान रखा जाय।
3. अवचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित

धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

4. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
6. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019 /XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा प्रथम अनुपूरक आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–238662 /2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019 /XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्याः 238662/2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में प्रदत्त निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5– उक्त धनराशि की स्वीकृति संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 22-11-2024 12:56:44 (प्रदीप पन्त)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।

6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 22-11-2024 14:40:12

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।